पत्र संख्या–2/बी0एम0–20–01/2014 गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

देव नारायण मंडल, **भा0प्र0से0**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

पटना,दिनांक

विषयः– **इंडिया रिजर्व वाहिनी में पदस्थापित अर्द्धसैनिक बल के उप–समादेष्टा स्तर के पदाधिकारी की बाध्य सेवा शर्त्त एवं अनुमान्य वेतन भत्ता के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–2956 दिनांक 22.01.2016 एवं पत्रांक–2957 दिनांक 22.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री जयराम कुमार वाई० सिंह, उप–समादेष्टा, बि0सै0पु0–12, सहरसा को अनुमान्य वेतन भत्ते के संबंध में सूचना की अपेक्षा की गई है। निदेशानुसार सूचित करना है कि :–

1. इंडिया रिजर्व वाहिनी में पदस्थापित उप–समादेष्टा स्तर के पदाधिकारियों की निर्धारित सेवा शर्त्त के अनुसार पदाधिकारियों को उनके संगठन में प्राप्त कोटि वेतनमान में वेतन उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार अनुमान्य होंगे।
2. इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता गृह मंत्रालय के पत्रांक–35967, 36266 दिनांक 06.08.2010 के क्रम में मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 4000 रुपये अनुमान्य होंगे।
3. मूल वेतन पर समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी भिन्न–भिन्न अर्द्धसैनिक संगठन बल से संबंधित हैं, जिनमें से कुछ संगठन द्वारा इन्हें विशेष भत्ता जैसे विशेष कर्त्तव्य भत्ता (एस0डी0ए0) कहा जाता है। 08 से 10 प्रतिशत की दर से अनुमान्य है। वित्त विभाग के संकल्प सं0–16214 दिनांक 26.11.2012 द्वारा 30 प्रतिशत विशेष भत्ता देने की स्वीकृति शर्त्तों के अधीन प्रदान की गयी है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को इनके पैतृक संगठन में देय विशेष प्रतिनियुक्त भत्ता जो 08 से 10 प्रतिशत है, नहीं दी जायेगी एवं इंडिया रिजर्व वाहिनी में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बल के उप–समादेष्टा स्तर के पदाधिकारी को मूल वेतन का 30 प्रतिशत विशेष कर्त्तव्य भत्ता/विशेष भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

5. इन पदाधिकारियों को स्पेशल कैम्प एलाउन्स (एस0सी0ए0) एवं कीट मेन्टेन्स एलाउन्स (के0एम0ए0) के रूप में प्रतिमाह निर्धारित राशि क्रमशः 500/–एवं 375/–रुपये अनुमान्य है।

6. राशन मनी भत्ता (आर0एम0ए0) प्रतिमाह 1210/–रुपये देय है।

7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सरकारी आवास की सुविधा आदि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदाधिकारियों के लिखित अनुरोध पर संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर देय दर पर मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है।

8. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह इंडिया रिजर्व वाहिनी में प्रतिनियुक्त उप–समादेष्टा स्तर के पदाधिकारी को शिशु शिक्षण भत्ता अनुमान्य है। यह भत्ता उसी दर पर देय होगा, जो संबंधित पदाधिकारियों के पैतृक संगठन में देय है।

9. इंडिया रिजर्व वाहिनी में प्रतिनियुक्त उप–समादेष्टा स्तर के पदाधिकारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एल0टी0सी0 की सुविधा अनुमान्य होगा।

उपरोक्त वर्णित भत्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता इंडिया रिजर्व वाहिनी में पदस्थापित अर्द्धसैनिक बल के उप–समादेष्टा स्तर के पदाधिकारी को अनुमान्य नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/बी0एम0–20–01/2014 गृ0आ0 9676 / पटना, दिनांक 9/12, 2016

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, ब्लॉक–10, पाँचवी मंजिल, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/श्री जयराम कुमार वाई० सिंह, उप–समादेष्टा, बि0सै0पु0–12, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।